

2018/00039

2/18

ब्याचालय तहसील 512 (राजस्व) लूनकरणसर, जिला बीकानेर

सरकार वनाम श्री सुन्दर प्रसाद श्रीमाल मार

किरम मुकदमा - आरसी.ए. 1954 की धारा 22 एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 91

मुकदमा नम्बर 31/18 वर्ष 2018 फसल 10/15

आदेश दिनांक कार्यवाही विवरण आदेश की तालीम

22/11/18

पटवारी हल्का 3-10 की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। मुताबिक रिपोर्ट अर्थी ने ग्राम/चक 2462142 के खसरा नं./मुर्जमे 170, 171

तादादी 6-03 6-03 बीघा राजकीय भूमि पर स्वतः 2074 में नाजायज कब्जा कर काश्त कर ली। अर्थी को धारा 22/91 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं नू अनिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क कर नू लिख जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/2/18 को पेश हो।

21.11.18
6921.11.18
10
22/11/18

8/2/18

6 मावली पेश हुई है। अर्थी ने 22/91 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं नू अनिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क कर नू लिख जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/2/18 को पेश हो।

ख रफिख के पेट
ज. 110 के तहत
पर भोग कायम की
गयी।
TPA
12/11/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का डुमरी ने रिपोर्ट (पी-14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल सुरेश राम पुत्र जुमना जाति गि.ल. साकिन ड.ए. ने ग्राम ह.ए.र.ल.ए. के खसरा नं० 170/12/1 रकबा 6.03 बीघा जोहड़ पायतम, गोवर, चारागाह राजकिय भूमि में काष्ठ/बाडा/कच्चा/पक्का मकान निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बन्धित गैर सायल का सभूरा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया सम्बन्धित गैरसायल अनुपस्थित होने के कारण उक्त प्रकरण में इकतरफा कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित गैर सायल सुरेश राम पुत्र श्री जुमना जाति गि.ल. साकिन ह.ए.र.ल.ए. ग्राम ह.ए.र.ल.ए. खसरा नं० 170/12/1 रकबा 6.03 बीघा के अतिचार करने पर राज भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व 3.12.252 का 50 गुणा रूपये 156/- शारित से दण्डित किया जाता हैं। तथा मौके से वेदखल करने के आदेश दिये जा वेदखली वादत सम्बन्धित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूल बाबत हल्का पटवारी को तथा नाम कायमी वादत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को खुली अदालत में लिखा जाकर सुनाया गया।

[Signature]
तहसीलदार(राजस्व)

लूनकरनसर